संख्या-20/2015/595/18-4-2015-3(एसाइड)/14

प्रेषक,

आर0ए0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निर्यात आयुक्त,
निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो,
लखनऊ।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 16जून, 2015

विषयः एसाइड योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में क्रियान्वयन हेतु जनपद अलीगढ़ में सी0एफ0सी0 फार पैकेजिंग, डिजाईनिंग एण्ड लेवलिंग की परियोजना हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के पत्र संख्या-53/एसाइड/951/2015-16 दिनांक 24-04-2015 की परियोजना हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव का मूल्यांकन प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी0एफ0ए0डी0) द्वारा किया गया। प्रभाग का मूल्यांकन निम्नवत् हैः- (लाख रूपये में)

क्र0सं0	कार्यमद	प्रस्तावित लागत	प्रभाग द्वारा आंकलित लागत
1-	लैण्ड	-------	-------
2-	बिल्डिंग	291.77	253.19
3-	प्लान्ट एण्ड मशीनरी	623.73	623.73
4-	मिसलेनियस फिक्सड एसेट्स	124.50	112.05
5-	अदर मिसलेनियस एण्ड प्री-आपरेटिव इक्सपेंन्सेज	60.00	50.00
	योग	1100.00	1038.97

2. इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के पत्र संख्या-726/ई0पी0बी0/एसाइड/2013-14, दिनांक 27-08-2013 के क्रम में शासनादेश संख्या-2024/18-4-2013-7(एसाइड)/04, दिनांक 06.01.2014 द्वारा परियोजना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 06-01-2014 के अनुसार प्रश्नगत सी0एफ0सी0 फार पैकेजिंग डिजाइनिंग एण्ड लेबलिंग अलीगढ़ की परियोजना में कार्यदायी संस्था उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र, अलीगढ़ को नामित किया गया है तथा परियोजना के आवेदन कर्ता (एस0पी0वी0) पो0पो0 पैकेजिंग प्रा0लि0अलीगढ़ है। परियोजना की कुल बास्केट मूल्य रू0-1100.00 लाख अनुमोदित है, जिसमें से एसाइड अंश रू0-880.00 लाख तथा एस0पी0वी0 अंश रू0-220.00 लाख निर्धारित है। परियोजना हेतु निर्धारित एसाइड अंश रू0-880.00 लाख की 25 प्रतिशत धनराशि रू0 220.00 लाख शासनादेश संख्या-196/18-4-2014-3(एसाइड)/14, दिनांक 14.01.2014 द्वारा पूर्व में स्वीकृत की जा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

चुकी है। परियोजना हेतु प्रस्तावित कुल लागत रू0-1100.00 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा रू0-1038.97 लाख की धनराशि आंकलित की गयी है, जो परियोजना की बास्केट मूल्य रू0-1100.00 लाख से कम है। अतः प्रश्नगत परियोजना हेतु प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0-1038.97 लाख का 80 प्रतिशत एसाइड अंश रू0-831.18 में से पूर्व स्वीकृत धनराशि रू0-220.00 लाख घटाते हुए (रू0-831.18-220.00) 611.18 लाख की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। परियोजना की अवशेष धनराशि एस0पी0वी0 द्वारा स्वयं वहन की जायेगी:-

(1) एसाइड अंश की धनराशि तभी अवमुक्त की जायेगी जब एस0पी0वी0 द्वारा नियमानुसार एस0पी0वी0 अंश योजना के अंतर्गत बैंक खाते में जमा किया जायेगा तथा भूमि के सम्बंध में समुचित लीज एग्रीमेंट/अनुबंध करा लिया जायेगा। निर्धारित कार्यदायी संस्था, एस0पी0वी0 द्वारा किये गये कार्यो का भौतिक निरीक्षण करने के उपरान्त स्पष्ट संस्तुति/आख्या निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को प्रेषित करेगी तदोपरान्त निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा सहमत होने के पश्चात् ही शासन/एस0एल0ई0पी0सी0 के निर्देशों के अधीन एसाइड अंश नियमानुसार किश्तों में अवमुक्त किया जायेगा।

(2) समय-समय पर एसाइड योजना के सम्बंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों एवं आदेशों का कड़ाई से अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता या विचलन नहीं किया जायेगा। इसको सुनिश्चित करने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(3) परियोजना के कार्य का अनुश्रवण कार्यदायी संस्था (उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र अलीगढ़) द्वारा प्रत्येक माह में न्यूनतम एक बार अवश्य किया जायेगा और इस सम्बंध में संस्तुति निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो तथा शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि निम्न व्यवस्था के अधीन व्यय की जायेगी:-

(क्) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्लान्ट एवं मशीनरी, फर्नीचर ट्रान्सपोर्ट सम्बन्धी साधन इलेक्ट्रीफिकेशन एवं सेफ्टी/फायर इक्यूपमेंट आफिस आटोमेशन एवं सिक्योरिटी आदि की लागत कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। उक्त मदें प्रोप्राइटरी प्रकृति की हैं। अतएव कार्यदायी संस्था द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाय, इस कमेटी द्वारा इन कार्यमदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(ख्) प्रायोजना के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था/एस0पी0वी0 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं अन्य वैधानिक औपचारिकतायें पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ग) प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित कार्यो एवं मात्राओं के अनुसार किया गया है मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तर दायित्व कार्यदायी संस्था/एस0पी0वी0 का होगा।

(घ) प्रभाग द्वारा प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति/बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। अनुमोदन की स्थिति में प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत ड्राईंग एवं डिजाइन तथा तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना का प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा। उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इसे निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो तथा कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

(ड) प्रायोजना का वित्त पोषण एसाइड योजनान्तर्गत किया जायेगा।

कृपया, उक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0ए0सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-595/18-4-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, स्टेट सेल, डिपार्टमेन्ट आफ कामर्स, उद्योग भवन, नईदिल्ली।
2. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय उ0प्र0 कानपुर।
3. कार्यदायी संस्था उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र, अलीगढ़।
4. एस0पी0वी0 मेसर्स पो0पो0 पैकेजिंग प्रा0 लि0 अलीगढ़)।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0ए0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।